कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंराज(प्राशि) राजस्थान, बीकानेर

(ई–मेल– scholarship.ele.2013@gmail.com दुरभाष– 0151–2226563)

क्रमांकः–शिविरा–प्रारं/छात्रवृति/3745/लाप्रोयो/2024–25/ दिनांक :– यथाहस्ताक्षर

विज्ञप्ति

राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना, बालिकाओं के पालन–पोषण, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग–भेद को रोकना एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, घटते शिशु लिंगानुपात को सुधारना एवं बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक सत्र 2024–25 से राजकीय विद्यालय/निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को **''लाडो प्रोत्साहन योजना''** के माध्यम से तृतीय किश्त के रूप में योजना का परिलाभ दिया जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत तृतीय एवं पश्चातवर्ती किश्तों के भुगतान हेतु पात्र बालिकाओं की आवेदन संबंधी विवरण शाला प्रधान/योजना प्रभारी द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2024–25 से राजकीय विद्यालय/निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं से दिनांक 16.01.2025 से पात्र बालिकाओं का आवेदन संबंधी विवरण शाला प्रधान/योजना प्रभारी द्वारा शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अपलोड किये जाऐंगें। योजनान्तर्गत पात्रता निम्नानुसार है–

पात्रता

1. योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी एवं जनआधार कार्डधारी प्रसूताओं के लिए ही देय होगा।
2. राजकीय चिकित्सा संस्थान/जननी सुरक्षा योजना (JSY) योजना के लिए अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने वाली बालिका।
3. लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय समस्त परिलाभ राजस्थान जन–आधार कार्ड के माध्यम से ही देय है।
4. मुख्यमंत्री राजश्री योजना में पात्र पाई गई बालिका जिनको तृतीय किश्त का भुगतान हो चुका है।
5. ऐसी बालिकाऐं हीं योजनान्तर्गत तृतीय एवं पश्चातवती किश्तों का लाभ लेने के लिए पात्र होगी जिन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदत्त प्रथम एवं द्वितीय किश्तों का लाभ प्राप्त किया हो।
6. शाला में प्रवेश के समय बालिका/माता–पिता/अभिभावक को pregnancy Child Traking and Helth Service Management System ID (PCTS ID) जनाधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
7. योजनान्तर्गत तृतीय कि त के भुगतान हेतु राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय से सत्र 2024–25 से प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाएं ही पात्र होगी।

तृतीय किश्त हेतु देय आर्थिक सहायता

उक्त योजनान्तर्गत पहली कक्षा में प्रवेश पर तृतीय किश्त के रूप में एक मुश्त 4000/– रूपये प्रदान किये जायेगें एवं यह राशि बालिका के अभिभावक/संरक्षक के बैंक खाते में हस्तानान्तरित की जायेगी।

भाालादर्पण पोर्टल पर सूचना अपलोड करने की प्रक्रिया

सस्था प्रधान/योजना प्रभारी प्रवेश के समय बालिका के माता–पिता/अभिभावक से PCTS ID जनआधार कार्ड एवं बैंक पास बुक की प्रति प्राप्त कर शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन सूचना अपलोड करेगा एवं इसके बाद इसे लॉक कर संबन्धित PEEO को अग्रेषित करेगा।

RajKaj Ref No.: 13021015

तृतीय किश्त भुगतान हेतु सूचना अपलोड करने की समय सारणी

विवरण	प्रारंभ तिथि
वर्ष 2024–25 में प्रथम कक्षा में प्रवे ा लेने वाली बालिकाओं को तृतीय किश्त के भुगतान हेतु संस्था प्रधान/योजना प्रभारी द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सूचनाएँ अपलोड कर अग्रेषित एवं लॉक करने की तिथियां	16.01.2025 से
वर्ष 2025–26 से प्रथम कक्षा में प्रवे ा लेने वाली बालिकाओं को तृतीय किश्त के भुगतान हेतु संस्था प्रधान/योजना प्रभारी द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सूचनाएँ अपलोड कर अग्रेषित एवं लॉक करने की तिथियां	प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के 15 दिन में

पूर्व शैक्षणिक सत्र में मुख्यमंत्री राजश्री योजना में पात्र बालिकाओं का किसी भी कारण से पूर्व वर्षों में आवेदन संबंधी विवरण शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सका हो, उनका भी आवेदन संबंधी विवरण लाडो प्रोत्साहन योजना में मुख्यमंत्री राजश्री योजना की पात्रता शर्तो के तहत किया जावें उपर्युक्त योजना की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP),पात्रता एवं शर्तें, भुगतान की दरें, आवश्यक दस्तावेजों का विवरण तथा युजर मेन्युल शिक्षा विभाग की वेबसाइट https://education.rajasthan.gov.in/elementary/#/sm/department-order शालादर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है।

सलग्नः–मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायतीराज
(प्रा.शि.) विभाग, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–प्रारं/छात्रवृति/3745/लाप्रोयो/2024–25/ दिनांक :– यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कुल शिक्षा, राजरथान, जयपुर।
2. आयुक्त महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य विभाग जयपुर।
4. प्रभारी ओजस पोर्टल, चिकिल्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
5. तकनीकी निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
7. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
8. शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद शिक्षा संकुल, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त योजना हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर योजना का मॉडयूल निर्धारित दिनांक 16.01.2025 को ऑनलाईन लाइव करवाना शुरू करें।
10. उपायुक्त–III शालादर्पण राजस्थान स्कुल शिक्षा परिषद शिक्षा संकुल, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त योजना के जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर योजना का मॉड्यूल निर्धारित दिनांक 16.01.2025 को एन.आई.सी. से समन्वय करके ऑनलाईन लाईव करवाना सुनिश्चित करें।
11. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
12. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को भेजकर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार में उक्त योजना की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करें।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि योजना के मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पूर्ण अध्ययन कर निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही

RajKaj Ref No.: 13021015

करें।

14. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भेजकर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार में समस्त संस्था प्रधान को पाबंद कर उक्त योजना की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अनुसार क्रियान्विति सुनिश्चित करावें।
15. समस्त संस्थाप्रधान राप्राvि/राउप्रावि/रामावि/राबामावि/राउमावि/राबाउमावि को अनिवार्यतः पालनार्थ।
16. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायतीराज
(प्रा.शि.) विभाग, राजस्थान
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally Signed by SITA RAM JAT
Designation : Director
Date :16-01-2025 03:30:52